

— आदेश —

मनोरंजन कर विभाग के प्रोन्नत आदेश संख्या- स्था0राज0(मनोरंजन)/ प्रमो0जि0म0क0अ0(वा0क0अधि0)-2021-22/1246, दिनांक 30.07.2021 द्वारा निम्न निरीक्षकों को जिला मनोरंजन कर अधिकारी परिवर्तित पदनाम वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरान्त प्रथम चरण में नवपदोन्नत अधिकारियों को दिनांक 06.09.2021 से प्रस्तावित 03 माह का जी0एस0टी0 अधिनियम, Accountancy / Balance Sheet एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण के पश्चात् 02 माह का फील्ड में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा अन्त में 01 माह का प्रशिक्षण संस्थान में फील्ड के अनुभव पर आधारित ग्रुप डिस्कशन, कार्यशाला एवं फील्ड की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु नामित किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती/स्थान
1.	श्री राजेश कुमार सिंह	नवपदोन्नत वा० कर अधि०	कुशीनगर, ज०न- गोरखपुर।
2.	सुश्री अन्जना सिंह	नवपदोन्नत वा० कर अधि०	सोनभद्र, ज०न- वाराणसी।
3.	श्री सुनील कुमार चौरसिया	नवपदोन्नत वा० कर अधि०	कौशाम्बी, ज०न- प्रयागराज।
4.	श्री शेष नाथ रावत	नवपदोन्नत वा० कर अधि०	मऊ, ज०न- वाराणसी।
5.	श्री जितेन्द्र कुमार	नवपदोन्नत वा० कर अधि०	बाराबंकी, ज०न- अयोध्या।
6.	श्री समर सिंह	नवपदोन्नत वा० कर अधि०	लखनऊ, ज०न- लखनऊ।
7.	श्री संजय अग्रवाल	नवपदोन्नत वा० कर अधि०	मुख्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8.	श्री राज कुमार शर्मा	नवपदोन्नत वा० कर अधि०	बदरौली, ज०न- बरेली।
9.	श्री अजय शंकर अवस्थी	नवपदोन्नत वा० कर अधि०	कानपुर, ज०न- प्रथम, कानपुर।

उल्लेखनीय है कि क्रमांक 07 पर अंकित श्री संजय अग्रवाल को पदोन्नति उपरान्त प्रशिक्षण हेतु एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ, ज०न- प्रथम, लखनऊ के कार्यालय में सम्बन्धित किया जाता है। शेष नवपदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों को उनके तैनाती जनपद के सम्बन्धित ज०नल कार्यालय में सम्बन्धित किया जाता है।

समस्त संबंधित अधिकारी अपने लोकेशन से गोबाईल, लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप जिरामें वेबकैम हों के माध्यम से कनेक्ट होंगे। यदि किसी अधिकारी को कनेक्ट होने में कोई समस्या आती है तो ज०नल एडीशनल कमिश्नर के कार्यालय से ऑनलाईन कनेक्ट हो सकते हैं।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमत्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

नामित अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान से ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

- आधारभूत/व्यावसायिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।

ह0/-

(मिनिस्त्री एस0)

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त अधिकारियों को एप के माध्यम से ग्रुप का गठन कर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जोन में सम्बद्ध नवपदोन्नत जिला मनोरंजन कर अधिकारी परिवर्तित पदनाम वाणिज्य कर अधिकारियों को अपने मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई०डी० सहित, दिनांक- **06.09.2021** से प्रारम्भ हो रहे ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु तत्काल अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी /आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय।
7. असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित नवपदोन्नत अधिकारी को अपने स्तर से अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईट/EIS SYSTEM पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
9. संबन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।



(शिशिर प्रकाश)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था०राज०)  
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।